सेवा में देरी पर तीन जिला वन अधिकारियों पर लगाया जुर्माना

450 लेटलतीफी के मामलों के लिए 14 जिला वन अधिकारियों को जारी किए गए नोटिस

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़ : सेवा का अधिकार आयोग ने सेवाओं में देरी के दोषी के तीन जिला वन अधिकारियों (डीएफओ) पर एक-एक हजार रुपये जुर्माना लगाया है।

डीएफओ राम कुमार जांगड़ा, आरएस डुल और जयकुमार नरवाल को पर्यवेक्षी चूक का दोषी ठहराते हुए 30 दिन के भीतर जुर्माना राशि चुकाने के लिए कहा गया है। सेवा का अधिकार आयोग के मुख्य आयुक्त टीसी गुप्ता ने बताया कि पेड़ों की कटाई की अनुमति और पीएलपीए या वन या प्रतिबंधित भूमि के संबंध में एनओसी (अनापत्ति प्रमाणपत्र) के विलंबित मामलों में वन विभाग के 14 अधिकारियों को तलब किया गया था। आयोग ने जुलाई 2020 से दिसंबर 2021 के बीच 688 मामलों की पहचान की, जहां देरी पाई गई। रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुए आयोग ने 450 से अधिक मामलों के लिए 14 जिला वन अधिकारियों को नोटिस जारी कर विगत 19 अप्रैल को सुनवाई के लिए बुलाया था। जिन मामलों में डीएफओ के अलावा अन्य अधिकारियों की ओर से देरी की पहचान की गई थी, आयोग अब उन्हें नोटिस देगा और उनका पक्ष सुनने के बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा।